सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-01/2026/117/90-सं0शि0प0का0/2026-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह- II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-11 फरवरी, 2026**

विषय- विकास कार्यों/निर्माण कार्यों के शिलापट्टों पर माननीय जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किया जाना।

महोदय,

माननीय संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015, दिनांक 05 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान परिषद के ऐसे माननीय सदस्य जिनका नाम उक्त शासनादेश के अनुलग्नक-1 (यथासंशोधित) में अंकित है, उनके नाम के सम्मुख अंकित नोडल/गृह जनपद में कराये जाने वाले विकास कार्यों से संबंधित विज्ञापनों एवं शिलापटों पर अंकित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा इस शासनादेश के अनुपालन हेतु शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2025 भी निर्गत किया गया है।

2- अद्यतन कई मामलों में यह संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश का अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा है जोकि घोर लापरवाही और उपेक्षा का द्योतक है। उच्च स्तरीय आदेश के अनुक्रम में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में उक्त शासनादेश की अवहेलना का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसमे शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 01/2026/117(1)/90-सं0शि0प0का0/2026 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, माननीय सभापति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

8- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गौरव कुमार
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।